न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 51/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री राजेश झालानी पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद झालानी
   एफबीओ मैसर्सः— झालानी रेस्टोरेन्ट एण्ड स्वीट कॉर्नर, सिकन्दरा रोड, पीडब्ल्यूडी तिराहा, बांदीकुई, दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उप0।
: अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 4.4.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा हूँ। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश कमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 8.3.2017 को दोपहर 12:30 बजे मैसर्सः— झालानी रेस्टोरेन्ट एण्ड स्वीट कॉर्नर, सिकन्दरा रोड, पीडब्ल्यूडी तिराहा, बांदीकुई, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री राजेश झालानी पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद झालानी वार्ड नं0 16 सिकन्दरा रोड बांदीकुई दौसा उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विकेता की दुकान के काउन्टर में एक एल्यूमिनीयम की ट्रे में करीबन 8—10 किलोग्राम बेसन लड्डू बूंदी (रिफा. सोयाबीन तेल से निर्मित) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इसमे से 2 किलोग्राम बेसन लड्डू बूंदी (रिफा. सोयाबीन तेल से निर्मित) नमूने की जांच हेतु हिला मिलाकर एक साफ सूखी एल्यूमिनियम की ट्रे में खरीदा। जिनकी कीमत 280 रूपये नकद देकर माल खरीद रसीद प्राप्त किया।

यह है कि खरीदशुदा बेसन लड्डू बूंदी (रिफा. सोयाबीन तेल से निर्मित) को चार साफ सूखी खाली बोतलों में बराबर—बराबर डालकर फॉर्मलिन की 40—40 बूंदे डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया व लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

बोतलों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1599 उपर से नीचे पूरे राउण्ड में गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से उपर नीचे दोनो साईडों में चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहान व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 9.3.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 9.3.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 23.8.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू बूंदी (रिफा. सोयाबीन तेल से निर्मित) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./460/एक्ट/2017/527 दिनांक 3.4.2017 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू बूंदी (रिफा. सोयाबीन तेल से निर्मित) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत न कर बहस हेतु निवेदन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू बूंदी (रिफा. सोयाबीन तेल से निर्मित) के नमूने में सिंथेटिक फूड कलर पाया गया है तथा नमूना सबस्टैण्डर्ड होना बताया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू बूंदी (रिफा. सोयाबीन तेल से निर्मित) को बनाने के लिये बाजार से नियमानुसार अनुमोदित कलर खरीदकर ही काम में लिया गया है। हमारे द्वारा इसमे कोई मिलावट नहीं की गयी है, फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई कमी उक्त खाद्य पदार्थ में पायी गयी है तो प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाया जावे।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 51/2017 एफ एस एस एक्ट

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./460/एक्ट/2017/527 दिनांक 3.4.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू बूंदी (रिफा. सोयाबीन तेल से निर्मित) सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो एफएसएसए 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी श्री राजेश झालानी पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद झालानी एफबीओ मैसर्सः– झालानी रेस्टोरेन्ट एण्ड स्वीट कॉर्नर, सिकन्दरा रोड, पीडब्ल्यूडी तिराहा, बांदीकुई, दौसा द्वारा खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू बूंदी (रिफा. सोयाबीन तेल से निर्मित) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री राजेश झालानी पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद झालानी एफबीओ मैसर्सः– झालानी रेस्टोरेन्ट एण्ड स्वीट कॉर्नर, सिकन्दरा रोड, पीडब्ल्यूडी तिराहा, बांदीकुई, दौसा पर 11000/–(अक्षरे ग्यारह हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 4.4.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 4.4.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक/ 8733-35
दिनांकः–13.4.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री राजेश झालानी पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद झालानी एफबीओ मैसर्सः– झालानी रेस्टोरेन्ट एण्ड स्वीट कॉर्नर, सिकन्दरा रोड, पीडब्ल्यूडी तिराहा, बांदीकुई, दौसा

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official